न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला– चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी डॉ. कृति व्यास (आर0,ए0,एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र –34/2023

अनवान

1. कृष्णा उर्फ संतोष पत्नी राजेन्द्र पुत्री श्री चतरर्भुज, जाति नाथ, निवासी मोहना, तहसील रावतभाटा, हाल निवासी ग्राम बलायता, तहसील अन्ता, जिला बांरा, राजस्थान।
2. धीरज पुत्र चतरर्भुज, जाति नाथ, आयु बालिग, निवासी मोहना, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. नर्बदा बाई पुत्री चतरर्भुज पत्नी श्री चौथमल जी, जाति नाथ, आयु बालिग, निवासी मोहना, हाल निवासी खातीखेडा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
4. पिंकी पत्नी हेमराज पुत्री श्री चतरर्भुज, जाति नाथ, आयु बालिग, निवासी मोहना, हाल निवासी थाने के सामने रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
5. श्रीमती मांगी बाई पत्नी बालचन्द जी पुत्री चतरर्भुज, जाति नाथ, आयु बालिग, निवासी मोहना, हाल निवासी संघारा, तहसील भानपुरा, जिला मन्दसौर (म.प्र.)। (मृतक)

6 (1) धनराज पिता बालचंद (पुत्र स्व. मांगी बाई), जाति नाथ, निवासी संधारा . तहसील भानपुरा, जिला मन्दसौर (म.प्र.)।

6 (2)आशा पिता बालचंद (पुत्री स्व. मांगी बाई), जाति नाथ, निवासी संधारा तहसील भानपुरा, जिला मन्दसौर (म.प्र.)।

6 (3) सुशील नाथ पिता बालचंद (पुत्र स्व. मांगी बाई), जाति नाथ, निवासी संधारा, तहसील भानपुरा, जिला मन्दसौर (म.प्र.)।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. अर्जुन पिता श्री चतर्भुज, जाति नाथ, आयु बालिग, निवासी मोहना, हाल निवासी मेन रोड़ एकलिंगपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. नरेन्द्र पिता चतर्भुज, जाति नाथ, आयु बालिग, निवासी मोहना, हाल निवासी चारण बस्ती मद्रासी होटल के पास रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. शिवशंकर पिता चतर्भुज, जाति नाथ, आयु बालिग, निवासी मोहना, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
4. श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार साहब रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजसथान।
5. धापू बाई पत्नी चतरर्भुज, जाति नाथ, आयु बालिग, निवासी मोहना, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान ।

प्रतिवादी/विपक्षीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान टैनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थित – श्री रईस अहमद मंसूरी प्रार्थीगण।
अप्रार्थीगण संख्या 1,2,3 व 5 एकतरफा कार्यवाही।
अप्रार्थी संख्या 04 पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 27.05.2026

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मोहना, प.ह. एकलिंगपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र एकलिंगपुरा, तहसील रावतभाटा, की जमाबंदी सम्वत् 2076–79 की खाता संख्या 74 खसरा संख्या खसरा संख्या 303, 39 मी0, 528, 696, 697, 706 कुल किता 06 कुल रकबा 5.4800 हेक्टर स्थित है, जो खाते में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 3 व 05 के खातेदारी हक व अधिकार में स्थित है तथा सभी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 व 5 का उक्त आराजी में प्रत्येक का 1/9 का हक व हिस्सा निहित है। यह कि दिनांक 12.06.2023 को हम वादी संख्या 3 हमारी कृर्षि आराजी पर हंकाई जुताई, साफ सफाई करने के लिए गये थे, वहां से लौटते वक्त मीना पत्नी अर्जुन, अर्जुन, शिवशंकर, नरेन्द्र तीनो प्रतिवादीगण एवं उनकी पत्नीयां प्रमीला, श्यामा सभी हम सलाह होकर आये और मौके पर वादी संख्या 03 के साथ धक्का मुक्की की और लडाई झगडा किया और कहने लगे कि उक्त सभी भूमि पर हम प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 व 05 का हक है, तुम्हारा कोई हक नहीं है, हम इस पर कब्जा करके रहेंगे और तुम्हें यहां से निकाल देगे और जो भी बीच में आयेगा, उसे जान से मार देगे, इस प्रकार की ऐलानियां व धमकीयां प्रतिवादी संख्या 01 से 03 व 05 के पूरे परिवार द्वारा दी जा रही है, यह कि प्रतिबादीगण वादी के खेत पर कब्जा करने की नियत से लड़ाई झगड़ा कर खेत पर आने

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

जाने से रोक रहे है, जबकि प्रतिवादीगण को इसका कोई हक व अधिकार नहीं है, वादीगण एवं प्रतिवादीगण का उक्त कृषि भूमि जिसमें प्रत्येक इंच व रकबे में अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी में बराबर का हक व हिस्सा निहित है, और सभी मौके पर अपने हक व हिस्से पर ही खेती करते चले आ रहे है, परन्तु दिनांक 12.06.2023 से ही प्रतिवादी संख्या 01 से 03 व 05 के द्वारा ऐलानियां धमकीयां देने से हमारा खेत पर आना जाना भी दुर्भर कर दिया है, जिसके कारण उक्त वाद बंटवारे वास्ते तथा खातेदारी की घोषणा करने वास्ते एवं खातेदारी हक व हिस्से की जमीन से बेदखल नहीं करने वास्ते पेश करना आवश्यक हुआ है। अंत में वादीगण द्वारा निवेदन किया है कि (अ) कि अज्ञप्ति बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 व 05 उक्त ग्राम मोजा मोहना, प.ह. एकलिंगपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र एकलिंगपुरा, तहसील रावतभाटा, की जमाबंदी सम्वत् 2076–79 की खाता संख्या 74 खसरा संख्या खसरा संख्या 303,39 मी0, 528, 696, 697,706 कुल किता 06 कुल रकबा 5.4800 हेक्टर स्थित जमीन पर किसी प्रकार का कोई कब्जा ना करें और वादीगण के हिस्से आराजी पर आने जाने में कोई अवरोध उत्पन्न ना करें, ना तो स्वयं करे, ना ही अपने किसी कार्यकर्ता के जरिये ऐसा करें (ब) कि ग्राम मौजा ग्राम मौजा मोहना, की खसरा संख्या 303, 39 मी., 528, 696, 697, 706 कुल किता 06 कुल रकबा 5.4800 हेक्टर में से प्रत्येक इंच व रकबे में से अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी का बंटवारा कर सभी वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 व 05 के नाम अलग अलग खाते दर्ज रिकॉर्ड कर खातेदारी अधिकार की घोषणा की जावें (स) कि खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे, अन्य कोई दादरसी वादी के हक में हो तो वह दिलायी जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 04 पेरोकार सरकार उपस्थित। अधिवक्ता श्री चुण्डावत द्वारा दिनांक 06.09.2023 को प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की ओर से उपस्थिति देने से इन्कार किया गया। न्यायालय द्वारा पुनः न्यायाहित में प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 के नोटिस प्रोसेस भरकर तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 न्यायालय में बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित हुए। प्रतिवादी संख्या 04 पेरोकार सरकार एक फार्मल पार्टी होने से तथा हितबद्ध पक्षकार नहीं होने से इनका जवाब बंद किया गया। प्रकरण में वर्णित भूमि हालिया राजस्व अभिलेख में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी में दर्ज है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण द्वारा मात्र प्रतिवादी से विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं होने से जवाब अपेक्षित नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 03 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही होने तथा प्रतिवादी संख्या 04 द्वारा वाद पत्र के खण्डन नही करने से वाद पत्र 03.04.2024 को स्वीकार किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 03 के मध्य ग्राम मोहना की खसरा संख्या 303, 39मी., 528, 696, 697, 706 कुल किता 06 कुल रकबा 5.48 है0 भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 3 का उपरोक्त हक हिस्से अनुसार विभाजन किये जाने का प्राथमिक डिक्री किया जाकर कमिश्नर तहसीलदार रावतभाटा से मौके के विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये।

इसी दौरान वादी संख्या 02 धापू बाई द्वारा न्यायालय में उपस्थित हो वाद पत्र में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं चाहने तथा प्राथमिक डिक्री को निरस्त करने का निवेदन किया गया तथा वादीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी संख्या 02 का नाम डिलिट किया गया। इसी दौरान प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की ओर से अधिवक्ता श्री पी.के. बिल्लू द्वारा वकालतनामा पेश कर प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 07 दी.प्र.सं. का पेश किया गया। न्यायालय द्वारा दिनांक 17.10.2024 को प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 07 दी.प्र.सं. स्वीकार कर दिनांक 03.04.2024 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश को निरस्त किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

इसी दौरान अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 (2) दि.प्र.सं. का पेश किया गया। जिस पर वकील प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति जाहिर नहीं करने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा वादी संख्या 02 का नाम विलोपित कर प्रतिवादी संख्या 05 के रूप में अंकित करने के आदेश पारित हुए।

वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 व आदेश 22 नियम 03 का पेश किया गया। जिस पर वकील प्रतिवादी द्वारा सहमति व्यक्त की गई। न्यायालय द्वारा दिनांक 27.11.2024 को प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 व आदेश 22 नियम 03 स्वीकार किया गया तथा वादी संख्या 06 फौत होने से उनके वारिसान को पक्षकार बनाये जाने के आदेश पारित हुए। वकील वादी द्वारा दिनांक 02.01.2025 से संशोधित वाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

दिनांक 23.01.2025 को प्रतिवादी संख्या 05 की ओर से अधिवक्ता श्री पी.के. बिल्लू द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। दिनांक 19.11.2025 को प्रतिवादी संख्या 02, 3, 5 की ओर से अधिवक्ता श्री बिल्लू द्वारा पैरवी करने से इन्कार किया गया। पुनः न्यायालय द्वारा न्यायहित में सूचना हेतु नोटिस तामील जारी किए गए। जो अदम तामील प्राप्त हुए। वकील वादीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रतिवादी संख्या 2,3,5 की तामील पुर्व में हो चुकी है अब झानबुझकर तामील लेना नहीं चाहते है पुर्व में इनके वकील उपस्थित भी हुए है, अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश फरमावें। न्यायालय द्वारा दिनांक 04.02.2026 को प्रतिवादी संख्या 2,3,5 को बार–बार तामील कराने के बाद भी उपस्थित नहीं होने से न्यायालय द्वारा इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित हुए।

कमिश्नर ने दिनांक 30.01.2025 को मौके के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किये।

प्रकरण में तनकियात कायम की गई तथा साक्ष्य में वादीगण द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर वाद पत्र की ताहिद में बयान गवाह दिए तथा पत्रावली में शामिल दस्तावेजों को प्रदर्श कराए।

<u>तनकी नं. 01</u>

<u>आया वादीगण वादग्रस्त आराजीयात गाम मोहना की खाता संख्या 74 खसरा संख्या 303, 39मी.,528, 696, 697, 706 का हिस्सा कर अलग से खाते दर्ज किय जाकर बंटवारा आराजीयात कर गुणवता के आधार पर प्राप्त करने का अधिकारी है।</u>

उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादीगण पर था। वादीगण संख्या 01 से 05 व 06 के वारिसान द्वारा न्यायालय में उपस्थित हो बयान दिए तथा वादीगण द्वारा ग्राम मोहना की जमाबंदी सम्वत् 2076–79 की खाता संख्या 74 प्रदर्श–1 तथा नक्शा ट्रेस प्रदर्श–2, संशोधित वाद पत्र प्रदर्श–3है। अंत में वादीगण की खातेदारी भूमि का मौके पर जमीन का अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का बंटवाडा कर मौके पर संभलाया जाए तथा अलग से खातेदारी की घोषणा की जावे और प्रतिवादीगण को वादीगण के हिस्से से बेदखल करने के बयान दिए। जिरह हेतु प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अतः उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी नं. 02</u>

<u>आया वादीगण वाद का संयुक्त खातेदार होने से आराजी का बंटवारा कराने का अधिकारी है।</u>

उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादीगण पर था। वादीगण संख्या 01 से 05 व 06 के वारिसान द्वारा न्यायालय में उपस्थित हो बयान दिए तथा वादीगण द्वारा ग्राम मोहना की जमाबंदी सम्वत् 2076–79 की खाता संख्या 74 प्रदर्श–1 तथा नक्शा ट्रेस प्रदर्श–2 कराए जिसमें वादीगण और प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 व 5 सहखातेदारान है, अतः उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी (चित्तौड़गढ़)

प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही होने से कोई तनकी नहीं सुझाई गई।

कमिश्नर ने दिनांक 30.01.2025 को मौके के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किये। प्राप्त प्रस्ताव पर वादीगण पक्ष की बहस सुनी प्राप्त प्रस्ताव से वकील वादी पक्ष द्वारा सहमति व्यक्त की गई हैं, प्राप्त प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री अनुरूप होने से वादीगण का वाद पत्र हस्ब विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम मोहना की खसरा संख्या 303, 39मी., 528, 696, 697, 706 कुल किता 06 कुल रकबा 5.48है0 भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03 व 5 के मध्य निम्न प्रकार से विभाजन का अन्तिम डिक्री किया जाता है:–

वर्तमान जमाबंदी अनुसार प्रविष्टियाँ

क्र. सं.	नाम खातेदार व विवरण	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1.	अर्जुन पुत्र चतरभुज हिस्सा 1/9 जाति नाथ सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण बैंक ऑफ बडोदा शाखा रावतभाटा	303 39मी.	1.48 2.00	7.40 10.00
2.	कृष्णा उर्फ संतोष पुत्री चतरभुज हिस्सा 1/9 जाति नाथ सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण बैंक ऑफ बडोदा शाखा रावतभाटा	528	0.73	3.65
3.	धीरज पुत्र चतरभुज हिस्सा 1/9 जाति नाथ सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण बैंक ऑफ बडोदा शाखा रावतभाटा	696 697	0.03 0.69	– 14.49
4.	नरेन्द्र पुत्र चतरभुज हिस्सा 1/9 जाति नाथ सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण बैंक ऑफ बडोदा शाखा रावतभाटा	706	0.55	3.30
5.	नर्बदा बाई पुत्री चतरभुज हिस्सा 1/9 जाति नाथ सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण बैंक ऑफ बडोदा शाखा रावतभाटा			
6.	पिंकी पुत्री चतरभुज हिस्सा 1/9 जाति नाथ सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण बैंक ऑफ बडोदा शाखा रावतभाटा			
7.	मांगी बाई पुत्री चतरभुज हिस्सा 1/9 जाति नाथ सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण बैंक ऑफ बडोदा शाखा रावतभाटा			
8.	शिवशंकर पुत्र चतरभुज हिस्सा 1/9 जाति नाथ सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण बैंक ऑफ बडोदा शाखा रावतभाटा			
9.	धापूबाई पत्नी स्व0 चतरभुज हिस्सा 1/9 जाति नाथ सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण बैंक ऑफ बडोदा शाखा रावतभाटा			
	योग	किता–06	5.48	38.84

प्रस्तावित बंटवाडा अनुसार प्रविष्टियाँ				
क्र. सं.	खातेदारों के नाम व विवरण	आराजी संख्या	रकबा (है0)	लगान
1.	अर्जुन, धीरज, नरेन्द्र, शिवशंकर पिता चतरभुज जाति नाथ सा. देह खातेदार	696 697	0.03 0.04	– 0.84
	योग	किता–2	0.07	0.84
2.	अर्जुन पिता चतरभुज जाति नाथ सा. देह खातेदार	697 303	0.30 0.29	6.30 –

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

	योग	किता 02	0.59	6.30
3.	धीरज पिता चतरभुज जाति नाथ सा.देह खातेदार	706 303	0.30 0.29	1.80 1.45
		किता 02	0.59	3.25
4.	नरेन्द्र पिता चतरभुज जाति नाथ सा.देह खातेदार	706 697 303	0.24 0.06 0.29	1.44 1.26 1.45
		किता 3	0.59	4.15
5.	शिवशंकर पिता चतरभुज जाति नाथ सा.देह खातेदार	697 303	0.30 0.29	6.3 1.45
		किता 02	0.59	7.75
6.	कृष्णा उर्फ संतोष, नर्बदा बाई, पिंकी पिता चतरभुज, धापू बाई पत्नि स्व0 चतरभुज जाति नाथ सा. देह खातेदार	39/1	0.07	0.20
		किता 01	0.07	0.20
7.	कृष्णा उर्फ संतोष पिता चतरभुज जाति नाथ सा. देह खातेदार	39/2	0.60	3.00
		किता 01	0.60	3.00
8.	नर्बदा बाई पिता चतरभुज जाति नाथ सा. देह खातेदार	39/3	0.60	3.00
		किता 01	0.60	3.00
9.	पिंकी पिता चतरभुज जाति नाथ सा. देह खातेदार	39/4	0.60	3.00
		किता 01	0.60	3.00
10.	धापू पत्नि स्व0 चतरभुज जाति नाथ सा. देह खातेदार	39/5 303 528	0.13 0.32 0.12	0.80 1.60 0.60
		किता 03	0.57	3.00
11.	मांगी बाई पिता चतरभुज जाति नाथ सा. देह खातेदार	528	0.61	3.05
		किता 01	0.61	3.05

नोटः— खातेदारान हिस्सा राहिन पूर्ण बैंक ऑफ बडौदा शाखा रावतभाटा पुर्वानुसार यथावत रहेगा।

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार अमल दरामद किया जावे। निर्णय आज दिनांक 27.05.2026 को सुनाया गया। निर्णय अनुसार डिक्री जारी की जावे। नजरी नक्शा डिक्री का पार्ट रहेगा।

(डॉ. कृति व्यास) आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

मूल वाद पत्र में डिक्री
(आदेश 2 नियम 6 ए 7 जा0 दी0)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर रावतभाटा बईजलास

वाद संख्या –34 / 2023

अनवान

1. कृष्णा उर्फ संतोष पत्नी राजेन्द्र पुत्री श्री चतरर्भुज, जाति नाथ, निवासी मोहना, तहसील रावतभाटा, हाल निवासी ग्राम बलायता, तहसील अन्ता, जिला बांरा, राजस्थान।
2. धीरज पुत्र चतरर्भुज, जाति नाथ, आयु बालिग, निवासी मोहना, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. नर्बदा बाई पुत्री चतरर्भुज पत्नी श्री चौथमल जी, जाति नाथ, आयु बालिग, निवासी मोहना, हाल निवासी खातीखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
4. पिंकी पत्नी हेमराज पुत्री श्री चतरर्भुज, जाति नाथ, आयु बालिग, निवासी मोहना, हाल निवासी थाने के सामने रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
5. श्रीमती मांगी बाई पत्नी बालचन्द जी पुत्री चतरर्भुज, जाति नाथ, आयु बालिग, निवासी मोहना, हाल निवासी संधारा, तहसील भानपुरा, जिला मन्दसौर (म.प्र.)। (मृतक)

6 (1) धनराज पिता बालचंद (पुत्र स्व. मांगी बाई), जाति नाथ, निवासी संधारा . तहसील भानपुरा, जिला मन्दसौर (म.प्र.)।

6 (2)आशा पिता बालचंद (पुत्री स्व. मांगी बाई), जाति नाथ, निवासी संधारा तहसील भानपुरा, जिला मन्दसौर (म.प्र.)।

6 (3) सुशील नाथ पिता बालचंद (पुत्र स्व. मांगी बाई), जाति नाथ, निवासी संधारा, तहसील भानपुरा, जिला मन्दसौर (म.प्र.)।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. अर्जुन पिता श्री चतर्भुज, जाति नाथ, आयु बालिग, निवासी मोहना, हाल निवासी मेन रोड़ एकलिंगपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ़, राजस्थान।
2. नरेन्द्र पिता चतर्भुज, जाति नाथ, आयु बालिग, निवासी मोहना, हाल निवासी चारण बस्ती मद्रासी होटल के पास रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. शिवशंकर पिता चतर्भुज, जाति नाथ, आयु बालिग, निवासी मोहना, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
4. श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार साहब रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजसथान।
5. धापू बाई पत्नी चतरर्भुज, जाति नाथ, आयु बालिग, निवासी मोहना, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान ।

प्रतिवादी / विपक्षीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत हुआ। जिस पर उभय पक्ष की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक 27.05.2026 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष **अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्नानुसार डिक्री दी जाती है :–**

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम मोहना की खसरा संख्या 303, 39मी., 528, 696, 697, 706 कुल किता 06 कुल रकबा 5.48है0 भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03 व 05 के मध्य निहित हक हिस्से अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन का अन्तिम डिक्री किया जाता है।

वर्तमान जमाबंदी अनुसार प्रविष्टियाँ

क्र. सं.	नाम खातेदार व विवरण	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1.	अर्जुन पुत्र चतरभुज हिस्सा 1/9 जाति नाथ सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण बैंक ऑफ बडोदा शाखा रावतभाटा	303	1.48	7.40
2.	कृष्णा उर्फ संतोष पुत्री चतरभुज हिस्सा 1/9 जाति नाथ सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण बैंक ऑफ बडोदा शाखा रावतभाटा	39मी. 528	2.00 0.73	10.00 3.65
3.	धीरज पुत्र चतरभुज हिस्सा 1/9 जाति नाथ सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण बैंक ऑफ बडोदा शाखा रावतभाटा	696	0.03	—
4.	नरेन्द्र पुत्र चतरभुज हिस्सा 1/9 जाति नाथ सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण बैंक ऑफ बडोदा शाखा रावतभाटा	697	0.69	14.49
5.	नर्बदा बाई पुत्री चतरभुज हिस्सा 1/9 जाति नाथ सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण बैंक ऑफ बडोदा शाखा रावतभाटा	706	0.55	3.30
6.	पिंकी पुत्री चतरभुज हिस्सा 1/9 जाति नाथ सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण बैंक ऑफ बडोदा शाखा रावतभाटा			
7.	मांगी बाई पुत्री चतरभुज हिस्सा 1/9 जाति नाथ सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण बैंक ऑफ बडोदा शाखा रावतभाटा			
8.	शिवशंकर पुत्र चतरभुज हिस्सा 1/9 जाति नाथ सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण बैंक ऑफ बडोदा शाखा रावतभाटा			
9.	धापूबाई पत्नी स्व0 चतरभुज हिस्सा 1/9 जाति नाथ सा. देह			

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

	खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण बैंक ऑफ बडोदा शाखा रावतभाटा			
	योग	किता–06	5.48	38.84

प्रस्तावित बंटवाडा अनुसार प्रविष्टियाँ

क्र. सं.	खातेदारों के नाम व विवरण	आराजी संख्या	रकबा (है0)	लगान
1.	अर्जुन, धीरज, नरेन्द्र, शिवशंकर पिता चतरभुज जाति नाथ सा. देह खातेदार	696 697	0.03 0.04	– 0.84
	योग	किता–2	0.07	0.84
2.	अर्जुन पिता चतरभुज जाति नाथ सा. देह खातेदार	697 303	0.30 0.29	6.30 –
	योग	किता 02	0.59	6.30
3.	धीरज पिता चतरभुज जाति नाथ सा.देह खातेदार	706 303	0.30 0.29	1.80 1.45
		किता 02	0.84	3.25
4.	नरेन्द्र पिता चतरभुज जाति नाथ सा.देह खातेदार	706 697 303	0.24 0.06 0.29	1.44 1.26 1.45
		किता 3	0.59	4.15
5.	शिवशंकर पिता चतरभुज जाति नाथ सा.देह खातेदार	697 303	0.30 0.29	6.3 1.45
		किता 02	0.59	7.75
6.	कृष्णा उर्फ संतोष, नर्बदा बाई, पिंकी पिता चतरभुज, धापू बाई पत्नि स्व0 चतरभुज जाति नाथ सा. देह खातेदार	39/1	0.07	0.20
		किता 01	0.07	0.20
7.	कृष्णा उर्फ संतोष पिता चतरभुज जाति नाथ सा. देह खातेदार	39/2	0.60	3.00
		किता 01	0.60	3.00
8.	नर्बदा बाई पिता चतरभुज जाति नाथ सा. देह खातेदार	39/3	0.60	3.00
		किता 01	0.60	3.00
9.	पिंकी पिता चतरभुज जाति नाथ सा. देह खातेदार	39/4	0.60	3.00
		किता 01	0.60	3.00
10.	धापू पत्नि स्व0 चतरभुज जाति नाथ सा. देह खातेदार	39/5 303 528	0.13 0.32 0.12	0.80 1.60 0.60
		किता 03	0.57	3.00
11.	मांगी बाई पिता चतरभुज जाति नाथ सा. देह खातेदार	528	0.61	3.05
		किता 01	0.61	3.05

नोटः– खातेदारान हिस्सा राहिन पूर्ण बैंक ऑफ बडौदा शाखा रावतभाटा पुर्वानुसार यथावत रहेगा।

यह आज दिनांक 27.05.2026 को मेरे हस्ताक्षर और मोहर अदालत से जारी की गई।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

वादी	राशि	प्रतिवादी	राशि
1. वाद पत्र के लिये स्टाम्प	–	1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	–
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	–	2. आवेदन पत्र के लिये स्टाम्प	–
3. प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	–	3. प्लीडर फीस	–
4. प्लीडर फीस	–	4. सक्षियों के लिये निर्वाह व्यय	–
5. सक्षियों के लिये निर्वाह व्यय	–	5. कमिश्नर फीस	–
6. कमिश्नर फीस	–	6. आदेशिका की तामील	–
7. आदेशिका की तामील	–	7. विविध	–
8. विविध	–		–

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा